न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 28/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरपाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रणवीर सिंह पुत्र स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. लखवीर सिंह पुत्र स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. अमृतपाल कौर पुत्री स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. गुलाब सिंह पुत्र स्व. श्रीमती दयाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रवि सिंह पुत्र स्व. श्रीमती दयाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– [illegible]3-2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IS
Reason: SelfAttested

वादी हरनेक सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण दर्शन सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का भाई, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की बहिन, प्रतिवादीया सं. 3 वादी की भाभी, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 वादी के भतीजे एवं भतीजी तथा प्रतिवादी सं. 7 व 8 वादी के भानजे है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता, प्रतिवादीया सं. 3 के ससुर, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के दादा, प्रतिवादी सं. 7 व 8 के नाना स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 6 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अन्य जगह प्राप्त कर ली है तथा प्रतिवादी सं. 2, 7 व 8 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

(क) **वादी हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी [illegible] वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IS
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता, प्रतिवादीया सं. 3 के ससुर, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के दादा, प्रतिवादी सं. 7 व 8 के नाना स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। [illegible] मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। [illegible] का जुज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

लगातार --4

... कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादी हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता, प्रतिवादीया सं. 3 के ससुर, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के दादा, प्रतिवादी सं. 7 व 8 के नाना स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-03-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 28/2024

नेक सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

\- वादी

बनाम्

र्शन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

रपाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अमरजीत कौर पत्नी स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

रणवीर सिंह पुत्र स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

लखवीर सिंह पुत्र स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

अमृतपाल कौर पुत्री स्व. श्री मक्खन सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

7. गुलाब सिंह पुत्र स्व. श्रीमती दयाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

8. रवि सिंह पुत्र स्व. श्रीमती दयाल कौर पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

\- प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 07-03-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी [illegible] जानिब मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 [illegible] जानिब मुदायले पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...री हरनेक सिंह पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया ...ला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

...हसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. के खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् ...073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि

मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता, प्रतिवादीया ...ं. 3 के ससुर, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के दादा, प्रतिवादी सं. 7 व 8 के नाना स्व. ...ी सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 एफ.टी.पी. ...े खाता सं. 47/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.743 है. कृषि भूमि का वादी ...ो खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम सिंह का नाम ...कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 07-03-2019 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:41 IST
Reason: SelfAttested